उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति-2022 एवं उ0प्र0 जैव ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत सौर ऊर्जा परियोजनाओं एवं जैव ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु निवेशकों को सरकारी भूमि लीज पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 05.08.2024 का कार्यवृत्त।

बैठक की उपस्थितिः-

1. श्री अनुपम शुक्ला, निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण।
2. श्री रामरतन, विशेष सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. श्री सर्वेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. श्री संजय कुमार त्रिपाठी, अनु सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन (विशेष सचिव वित्त के प्रतिनिधि)।
5. श्री सुनील कुमार चौहान, अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. सुश्री नम्रता कालरा, सलाहकार, यूपीनेडा।
7. श्री अजय कुमार, वरि0परि0 अधिकारी-1, यूपीनेडा।
8. श्री नरेन्द्र सिंह, वरि0परि0 अधिकारी-2, यूपीनेडा।

बैठक में निम्नलिखित जनपदों के अधिकारीगण तथा निवेशक संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया गया:-

1. श्री राहुल पाण्डेय, जिलाधिकारी, हमीरपुर
2. श्री राजेन्द्र पैंसिया, जिलाधिकारी, सम्भल।
3. श्रीमती नेहा शर्मा, जिलाधिकारी, गोण्डा।
4. श्री महेन्द्र सिंह तंवर, जिलाधिकारी, सन्त कबीर नगर।
5. श्री राजेश कुमार पाण्डेय, जिलाधिकारी, जालौन।
6. श्री विशाख जी, जिलाधिकारी, अलीगढ।
7. सुश्री कृतिका ज्योत्सना, जिलाधिकारी, सुल्तानपुर।
8. श्री जग प्रवेश, मुख्य विकास अधिकारी, बरेली।
9. श्री सौरभ गंगवार, मुख्य विकास अधिकारी, सोनभद्र
10. श्री विनय, मुख्य राजस्व अधिकारी, आजमगढ।
11. श्री सदानन्द गुप्ता, अपर जिलाधिकारी, अम्बेडकर नगर।
12. श्री संजय कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी
13. श्री अरूण सिंह, अपर जिलाधिकारी, झाँसी

14.श्रीमती प्रियंका सिंह, अपर जिलाधिकारी, हरदोई।

15.श्री पी0सी0 गुप्ता (इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 के प्रतिनिधि)

16.श्री योगेश गुप्ता (गेल इण्डिया लि0 के प्रतिनिधि)

17.सम्बन्धित अन्य फर्मों के प्रतिनिधि।

बैठक में अवगत कराया गया कि उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति-2022 एवं उ0प्र0 जैव ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत सौर ऊर्जा परियोजनाओं एवं जैव ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु निवेशकों को लीज पर भूमि उपलब्ध कराये जाने के लिये शासनादेश दिनांक 03-08-2023 द्वारा अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित है। निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) द्वारा जनपद हमीरपुर एवं झाँसी में 02 सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना तथा 12 जनपदों में 13 जैव ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु निवेशकों को सरकारी भूमि लीज पर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में उच्च स्तरीय समिति के विचारार्थ ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये जो उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा शासनादेशों/नीतियों की शर्तों के अनुसार पाये एवं पूर्ण पाये गये। निदेशक, यूपीनेडा द्वारा प्रस्तुत की गयी संस्तुतियों को उच्च स्तरीय समिति द्वारा जनपदवार निम्नवत स्वीकार किया गया:-

सौर ऊर्जा परियोजनाएं

1.जनपद हमीरपुर

निदेशक, यूपीनेडा द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद हमीरपुर में गेल इण्डिया लिमिटेड (भारत सरकार का सार्वजनिक उपक्रम), ने ओपेन एक्सेस में जनपद हमीरपुर में कैप्टिव उपयोगार्थ 100 मेगावाट क्षमता के सौलर पावर प्लाण्ट की स्थापना का प्रस्ताव किया है। गेल इण्डिया लिमिटेड द्वारा परियोजना की स्थापना हेतु जनपद हमीरपुर की तहसील मौदहा के ग्राम बैजामऊ एवं भुलसी बॉगर में कुल 475 एकड़ भूमि चिन्हित की गयी है। इसमें 186.811 एकड़ कृषकों की निजी भूमि है तथा 288.189 एकड़ (ग्राम बैजामऊ में 194.873 एकड़ एवं ग्राम भुलसी बॉगर में 93.316 एकड़) सरकारी भूमि है। निदेशक, यूपीनेडा द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा के आदेश संख्या-515/आर0ए0-पुर्नग्रहण-सोलर पावर प्लाण्ट/2023 दिनांक 09.02.2024 द्वारा जनपद हमीरपुर की तहसील मौदहा के ग्राम बैजामऊ की 194.873 एकड़ (78.896 हेक्टेयर) (गाटा संख्या 545 ग/0.555 हे0, 546घ/0.142 हे0, 513घ/14.144 हे0, 438क/0.709 हे0, 438 ग/16.410 हे0, 531 ख/4.189 हे0, 531 ग, 6.332 हे0,1250 घ/3.096 हे0, 1250 घ/20.951 हे0, 581ठ/11.020 हे0, 1248 ख/1.348) सरकारी भूमि तथा आदेश संख्या 516 आर0ए0-पुर्नग्रहण -सोलर पावर प्लाण्ट/2023 दिनांक 09.02.2024 द्वारा

ग्राम भुलसी घाँगर की 93.316 एकड़ (37.780 हेक्टेयर) (गाटा संख्या - 258 ड/10.433 है0, 312 मि0/6.438 है0, 317 ग/4.026 है0, 318ड/0.870 है0, 320 ख /0.004 है0, 742 ज/0.069 है0, 742 द/15.940) सरकारी भूमि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पक्ष में 30 वर्ष के लिये पट्टे पर पुनर्ग्रहित कर आवंटित की गयी है।

निदेशक, यूपीनेडा द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि गेल इण्डिया लि0 द्वारा परियोजना की स्थापना के लिये अवशेष आवश्यक निजी भूमि की व्यवस्था स्वयं कर ली जाएगी। निदेशक, यूपीनेडा द्वारा परियोजना की स्थापना के लिये उक्त सरकारी भूमि गेल इण्डिया लि0 जो भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है, को उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति -2022 के प्राविधानों के अनुसार रू0 1 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 30 वर्ष की लीज पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिये जाने पर समिति से अनुमोदन प्रदान किये जाने की संस्तुति की गयी :-

1- प्रश्नगत सौर परियोजना हेतु अवशेष 186.811 एकड़ निजी भूमि गेल इण्डिया लिमिटेड द्वारा लीज पर स्वयं प्राप्त कर ली जाएगी तथा लीज पर प्राप्त कर लिये जाने विषयक सहमति पत्र यूपीनेडा को उपलब्ध कराया जाएगा।

2- गेल इण्डिया लिमिटेड द्वारा एक माह के अन्दर लीज पर दी गयी सरकारी भूमि के सम्बन्ध में लीज डीड सम्पादित की जाएगी।

राज्य स्तरीय समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जनपद हमीरपुर में सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिये गेल इण्डिया लि0 को सरकारी भूमि लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में यूपीनेडा की संस्तुति को स्वीकार किया गया।

2.जनपद -झांसी

निदेशक, यूपीनेडा द्वारा अवगत कराया गया कि मैसर्स फोर्थ पार्टनर सोलर पावर प्रा0 लिमिटेड हैदराबाद द्वारा ओपेन एक्सेस के अन्तर्गत कैप्टिव उपयोगार्थ जनपद झांसी में 70 मेगावाट क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना की जा रही है। मैसर्स फोर्थ पार्टनर सोलर पावर प्रा0 लिमिटेड हैदराबाद द्वारा प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु जनपद-झांसी की तहसील-झांसी के ग्राम - बुढ़पुरा में 46 एकड़ एवं ग्राम बैजपुर में 2.89 एकड़ तथा 8.97 एकड़ अर्थात कुल 57.86 एकड़ सरकारी भूमि चिन्हित की गयी है। परियोजना के लिये आवश्यक अवशेष भूमि फर्म द्वारा स्वयं लीज पर ली जा रही है।

यह भी अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी झांसी के आदेश संख्या 16/12ए-डी0एल0आर0सी0/2023 दिनांक 16.01.2024 द्वारा ग्राम बुढ़पुरा में 44.00 एकड़ (17.724 है0), आदेश संख्या 42/12ए- डी0एल0आर0सी0 /2023 दिनांक 02.02.2024 द्वारा ग्राम बैजपुर में 08.97 एकड़(3.631 है0) एवं आदेश संख्या 43/12ए-डी0एल0आर0सी0/2023 दिनांक

02.02.2024 द्वारा ग्राम बेजपुर में 02.89 एकड़ (1.172 है0) अर्थात कुल 55.86 एकड़ सरकारी भूमि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पक्ष में 30 वर्ष के लिये लीज पर उपलब्ध करायी गयी थी।

निदेशक, यूपीनेडा द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि दिनांक 12-02-2024 को आयोजित उच्च स्तरीय समिति की बैठक में जनपद झांसी में 70 मेगावाट झांसी सोलर पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिये मैसर्स फोर्थ पार्टनर सोलर पावर प्रा0 लिमिटेड, हैदराबाद को 55.86 एकड़ सरकारी भूमि रू0 15000/- प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से 30 वर्ष की लीज पर दिये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया था। सम्बन्धित फर्म के साथ अनुबन्ध / लीज डीड हस्ताक्षरित नहीं हो पायी है। जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 16-01-2024 द्वारा ग्राम बुढपुरा में पुनर्गृहित 44 एकड़ सरकारी भूमि के गाटा संख्या 1115/2.934 है0 एवं गाटा संख्या- 1119 मि0/0.110 है0 का क्षेत्रफल त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर जिलाधिकारी झांसी द्वारा संशोधित आदेश संख्या 64/12-अ- डी0एन0आर0सी0/पुनर्गृहण/2023-24 दिनांक 26.02.2024 द्वारा भूमि आवंटन का संशोधित आदेश निर्गत किया गया है, जिसके अनुसार ग्राम बुढपुरा में पुनर्गृहीत भूमि के गाटो, जिनका क्षेत्रफल संशोधित हुआ है, का विवरण निम्नवत है:-

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	आदेश संख्या-16/12ए-डी0एन0 आर0सी0/2023 दिनांक 16.01.2024 क्षेत्रफल (है0)	आदेश संख्या-64/12अ-डी0एन0 आर0सी0/ पुनर्गृहण/ 2023-24 दिनांक 26.02.2024 क्षेत्रफल (है0)
झांसी	झांसी	झांसी	बुढपुरा			
				1115	2.934	2.936
				1119 मि0	0.110	0.011

निदेशक, यूपीनेडा ने जिलाधिकारी, झांसी के संशोधित आदेश दिनांक 26-02-2024 के क्रम में ग्राम बुढपुरा, तहसील झांसी के गाटा संख्या-1115 एवं गाटा संख्या-1119 मि0 के क्षेत्रफल में हुए परिवर्तन के दृष्टिगत मैसर्स फोर्थ पार्टनर सोलर पावर प्रा0 लिमिटेड हैदराबाद को जनपद झांसी में सोलर परियोजना की स्थापना के लिये ग्राम बुढपुरा, तहसील झांसी की भूमि लीज पर आवंटित किये जाने हेतु समिति से पुनः अनुमोदन प्रदान करने की संस्तुति की गयी।

जिलाधिकारी, झांसी के संशोधित आदेश दिनांक 26-02-2024 से स्पष्ट है कि भूमि आवंटन में कोई नया गाटा नहीं जुड़ा है। 02 गाटो के क्षेत्रफल में संशोधन हुआ है। जिलाधिकारी, झांसी के संशोधित आदेश के फलस्वरूप समिति की पूर्व बैठक दिनांक 12-02-2024 में अनुमोदित भूमि के क्षेत्रफल में बहुत कम अन्तर है। यदि कोई नया गाटा जुड़ा होता तो उस दशा में समिति का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है। समिति द्वारा निदेशक, यूपीनेडा को निर्देशित किया गया कि

समिति की पूर्व संस्तुति/अनुमोदन के क्रम में जिलाधिकारी, झांसी द्वारा आवंटित भूमि की वास्तविक स्थिति के अनुसार अपने स्तर से आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा जो संशोधन किये गये हैं, उन्हें चार्ट के रूप में समिति की अगली बैठक में संज्ञानित करा दें।

जैव ऊर्जा परियोजनाएं

1.जनपद-सम्भल

निदेशक, यूपीनेडा द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम मे0 इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत जनपद-सम्भल में 10 टन प्रतिदिन क्षमता के सी0बी0जी0 प्लॉण्ट की स्थापना हेतु सरकारी भूमि उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। यह भी अवगत कराया गया कि 01 टन क्षमता के सी0बी0जी0 प्लॉण्ट की स्थापना के लिये 01 एकड भूमि तथा बायोमास को एकत्र करने के लिये अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होती है। मे0 इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 द्वारा 10 टन क्षमता के सी0बी0जी0 प्लांट की स्थापना के लिये जनपद-सम्भल की तहसील-गुन्नौर के ग्राम-सिमरई में कुल 27.992 एकड़ (गाटा संख्या-638 मि0/1.685 है0,603 मि0/1.786 है0, 594/3.212 है0,612 मि0/ 0.346 है0,624 मि0/1.366 है0, 605 मि0 /2.024 है0, 593/ 0.101 है0, 591/0.808 है0) सरकारी भूमि चिन्हित की गयी है। जिलाधिकारी, सम्भल के पत्र सं0- 661/डी0एल0आर0सी0/लीज/2023-24, दिनांक 19.01.2024 द्वारा उक्त चिन्हित भूमि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पक्ष में 30 वर्ष के लिये लीज पर उपलब्ध करायी गयी है। निदेशक, यूपीनेडा द्वारा जनपद सम्भल में 10 टन क्षमता के सी0बी0जी0 प्लांट की स्थापना के लिये निम्नलिखित शर्तों के अधीन उक्त भूमि मे0 इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 को आवंटित किये जाने की संस्तुति की गयी:-

1- प्रश्नगत परियोजना के लिये फीड स्टाक भंडारण के लिये आवश्यक अतिरिक्त भूमि की व्यवस्था अपने स्रोतों से किये जाने विषयक सहमति पत्र सम्बन्धित फर्म द्वारा यूपीनेडा को उपलब्ध कराया जाएगा।

2- सम्बन्धित फर्म द्वारा एक माह के अन्दर लीज पर दी गयी सरकारी भूमि के सम्बन्ध में लीज डीड सम्पादित की जाएगी।

समिति द्वारा मे0 इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 के प्रतिनिधि से सी0बी0जी0 प्लांट की स्थापना के सम्बन्ध में यह पृच्छा की गयी कि 10 टन क्षमता के प्लांट की स्थापना के लिये कितना प्रेसमड स्टोर किया जाना आवश्यक है तथा उसके लिये कितनी भूमि की आवश्यकता होगी ? इस सम्बन्ध में मे0 इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 के प्रतिनिधि द्वारा पूर्ण स्थिति स्पष्ट नहीं की जा सकी।

राज्य स्तरीय समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 को जनपद-सम्भल की तहसील-गुन्नौर के ग्राम-सिमरई में 10 टन प्रतिदिन क्षमता के सी0बी0जी0 प्लांट को स्थापित किये जाने हेतु 10 एकड़ सरकारी भूमि रू0-1 प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से 30 वर्ष के लिए लीज पर दिये जाने हेतु निदेशक,यूपीनेडा की संस्तुति को स्वीकार किया गया तथा समिति द्वारा यह निर्देश दिये गये कि फीड स्टाक के रूप में प्रेसमड के भंडारण हेतु आवश्यक भूमि का औचित्य प्रस्तुत किये जाने पर तद्नुसार भूमि उपलब्ध कराये जाने पर विचार किया जाएगा। यह भी निर्देश दिये गये कि निदेशक, यूपीनेडा द्वारा चीनी मिल से यह सूचना प्राप्त कर ली जाएगी कि सी0बी0जी0 प्लांट की स्थापना के लिये प्रेसमड के भंडारण के लिये कितनी भूमि की आवश्यकता होगी?

2. जनपद-हरदोई

निदेशक, यूपीनेडा द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 द्वारा 50प0 राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत जनपद-हरदोई की तहसील-बिलग्राम के ग्राम-चीकापुर में 10 टन प्रतिदिन क्षमता के सी0बी0जी0 प्लांट की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। यह भी अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत प्लांट में बायोमास का उपयोग किया जाएगा। प्लांट की स्थापना के लिये जनपद-हरदोई की तहसील-बिलग्राम के ग्राम-चीकापुर में कुल 20.91747 एकड़ सरकारी भूमि चिन्हित की गयी है, जिसे जिलाधिकारी, हरदोई के पत्र संख्या-582/7-भूलेख-भूमि प्रस्ताव/2023, दिनांक 07 जून, 2024 के द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पक्ष में लीज पर उपलब्ध कराया गया है।

राज्य स्तरीय समिति द्वारा यह पाया गया कि जिलाधिकारी, हरदोई के पत्र दिनांक 07-06-2024 द्वारा भूमि आवंटन का प्रस्ताव प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग को भेजा गया है। इस प्रकार भूमि अभी अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को आवंटित नहीं हुई है। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि भूमि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पक्ष में आवंटित होने के पश्चात परीक्षणोपरांत प्रस्ताव समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए। निदेशक, यूपीनेडा को यह भी निर्देशित किया गया कि सौर ऊर्जा / जैव ऊर्जा नीति-2022 के प्राविधानों के अनुसार चैक लिस्ट बनाकर परीक्षण करने के पश्चात नीति की शर्तों का पूर्णतः पालन करने वाले प्रस्तावों को ही समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए। विभाग के पक्ष में भूमि आवंटित न होने के बावजूद भी प्रस्ताव को उच्च स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये जो जिम्मेदार हो, उसे चिन्हित कर सचेत किया जाए जिससे भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृति न हो।

3. जनपद-लखीमपुर-खीरी

निदेशक, यूपीनेडा द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 द्वारा जैव ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत जनपद-लखीमपुरखीरी में 10 टन प्रतिदिन क्षमता के सी0बी0जी0 प्लॉण्ट की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित सी0बी0जी0 प्लॉण्ट हेतु जनपद-लखीमपुरखीरी की तहसील-मितौली के ग्राम-बाईफुआं में कुल 15.99 एकड़ (गाटा संख्या-1064ट मि0/6.777 है0 में से 6.477 है0) सरकारी भूमि चिन्हित की गयी है। जिलाधिकारी, लखीमपुरखीरी के आदेश सं0- 1379/12ए/30प0रा0जैव-ऊर्जा/भूमि/डीएलआरसी, दिनांक 16 मार्च, 2024 के द्वारा उक्त चिन्हित भूमि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पक्ष में 30 वर्ष के लिये लीज पर उपलब्ध करायी गयी है। निदेशक, यूपीनेडा द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 को 10 टन प्रतिदिन क्षमता के सी0बी0जी परियोजना की स्थापना के लिये जनपद-लखीमपुरखीरी की तहसील-मितौली के ग्राम-बाईफुआं मे कुल 15.99 एकड़ सरकारी भूमि रू0-1 प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से 30 वर्ष के लिए लीज पर दिये जाने की संस्तुति की गयी :-

1- प्रस्तगत परियोजना के लिये फीड स्टाक भंडारण के लिये आवश्यक अतिरिक्त भूमि की व्यवस्था अपने स्रोतों से किये जाने विषयक सहमति पत्र सम्बन्धित फर्म द्वारा यूपीनेडा को उपलब्ध कराया जाएगा।

2- सम्बन्धित फर्म द्वारा एक माह के अन्दर लीज पर दी गयी सरकारी भूमि के सम्बन्ध में लीज डीड सम्पादित की जाएगी।

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निदेशक, यूपीनेडा की संस्तुति को स्वीकार किया गया।

4. जनपद-गोण्डा

निदेशक, यूपीनेडा द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार का उपक्रम इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 द्वारा जैव ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत जनपद-गोण्डा में 10 टन प्रतिदिन क्षमता के सी0बी0जी0 प्लॉण्ट की स्थापना प्रस्तावित की गयी है। इस सी0बी0जी0 प्लाण्ट की स्थापना हेतु जनपद-गोण्डा की तहसील-मनकापुर के ग्राम- घारीघाट में कुल 12.350 एकड़ (गाटा संख्या-1750 मि0/32.783 है0 में से 5.00 है0) सरकारी भूमि चिन्हित की गयी है। जिलाधिकारी-गोण्डा के आदेश सं0- 92/150/भूमि व्यवस्था/पुनर्ग0/24, दिनांक 03 जून, 2024 द्वारा उक्त चिन्हित भूमि 30 वर्ष के लिये अतिरिक ऊर्जा स्रोत विभाग के पक्ष में लीज पर उपलब्ध करायी गयी है। निदेशक, यूपीनेडा द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 को 10 टन प्रतिदिन क्षमता के सी0बी0जी परियोजना की स्थापना हेतु जनपद-

गोण्डा की तहसील-मनकापुर के ग्राम- घारीघाट में कुल 12.350 एकड़ सरकारी भूमि को रु0-1 प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से 30 वर्ष के लिए लीज पर दिये जाने की संस्तुति की गयी :-

1- प्रश्नगत परियोजना के लिये फीड स्टाक भंडारण के लिये आवश्यक अतिरिक्त भूमि की व्यवस्था अपने सोतों से किये जाने विषयक सहमति पत्र सम्बन्धित फर्म द्वारा यूपीनेडा को उपलब्ध कराया जाएगा।

2- सम्बन्धित फर्म द्वारा एक माह के अन्दर लीज पर दी गयी सरकारी भूमि के सम्बन्ध में लीज डीड सम्पादित की जाएगी।

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निदेशक, यूपीनेडा की संस्तुति को स्वीकार किया गया।

<u>5. जनपद-आजमगढ़</u>

निदेशक, यूपीनेडा द्वारा अवगत कराया गया कि रिलायन्स बायो-एनर्जी लि0 द्वारा जनपद आजमगढ में 30प0 जैव ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत 22.5 टन प्रतिदिन क्षमता के सी0बी0जी0 प्लाण्ट की स्थापना प्रस्तावित की गयी है। इस प्लाण्ट की स्थापना के लिये जनपद- आजमगढ़ की तहसील-फूलपुर के ग्राम-खण्डौरा में कुल 14.826 एकड़ (गाटा संख्या-256 मि/3.00 है0, 358 मि0/1.00 है0, 19 मि0/2.00 है0) सरकारी भूमि चिन्हित की गयी है। जिलाधिकारी-आजमगढ के आदेश सं0-231/08-12(2017-2020) प0सह0, दिनांक 11 मार्च, 2024 द्वारा उक्त चिन्हित भूमि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पक्ष में 30 वर्ष की लीज पर उपलब्ध करायी गयी है। निदेशक, यूपीनेडा द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन जनपद-आजमगढ़ में 22.5 टन प्रतिदिन क्षमता के सी0बी0जी परियोजना की स्थापना हेतु रिलायन्स बायो-एनर्जी लि0 को तहसील-फूलपुर के ग्राम-खण्डौरा में कुल 14.826 एकड़ सरकारी भूमि रु0-15,000/- प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से 30 वर्ष के लिए लीज पर दिये जाने की संस्तुति की गयी है:-

1- प्रश्नगत परियोजना के लिये फीड स्टाक भंडारण के लिये आवश्यक अतिरिक्त भूमि की व्यवस्था अपने सोतों से किये जाने विषयक सहमति पत्र सम्बन्धित फर्म द्वारा यूपीनेडा को उपलब्ध कराया जाएगा।

2- सम्बन्धित फर्म द्वारा एक माह के अन्दर लीज पर दी गयी सरकारी भूमि के सम्बन्ध में लीज डीड सम्पादित की जाएगी।

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निदेशक, यूपीनेडा की संस्तुति को स्वीकार किया गया।

<u>6. जनपद-सन्त कबीर नगर</u>

निदेशक, यूपीनेडा द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद-सन्त कबीर नगर में जैव ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत रिलायन्स बायो-एनर्जी लि0 द्वारा 22.5 टन प्रतिदिन क्षमता के

सी0बी0जी0 प्लॉण्ट की स्थापना प्रस्तावित की गयी है। इसके लिये जनपद- सन्त कबीर नगर की तहसील-मेंह्दावल के ग्राम- अमरहा में कुल 18.862 एकड़ सरकारी भूमि चिन्हित है। जिलाधिकारी-सन्त कबीर नगर के आदेश सं0-605/भूलेख/पुनर्ग्रहण/2024-25, दिनांक 01 मई, 2024 द्वारा उक्त चिन्हित भूमि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पक्ष में 30 वर्ष के लिये लीज पर उपलब्ध करायी गयी है।

राज्य स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण के उपरांत यह पाया गया कि प्रस्तुत एजेण्डा में उक्त सी0बी0जी0 प्लांट की स्थापना तहसील मेंह्दावल के ग्राम बगई में प्रस्तावित की गयी है। जिलाधिकारी, संत कबीरनगर द्वारा ग्राम का नाम दूसरा बताया गया। जिलाधिकारी, संत कबीर नगर द्वारा यह भी बताया गया कि जनपद में तीन जैव ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिये भूमि आवंटित किये जाने का प्रस्ताव भेजा गया है। समिति द्वारा यह निर्देशित किया गया कि भूमि आवंटन सम्बन्धी आदेशों का पूर्ण रूप से परीक्षण कराकर प्रस्ताव समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

7. जनपद-अम्बेडकर नगर

निदेशक, यूपीनेडा द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद-अम्बेडकर नगर में रिलायन्स बायो-एनर्जी लि0 द्वारा उ0प्र0 जैव ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत 22.5 टन प्रतिदिन क्षमता के सी0बी0जी0 प्लॉण्ट की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव किया गया है। इस प्लांट की स्थापना जनपद-अम्बेडकरनगर की तहसील-अकबरपुर के ग्राम- सस्पना में कुल 19.7684 एकड़ (गाटा संख्या-2247 ह मि/5.500 है0, 2246 क्ष/2.500 है0) सरकारी भूमि चिन्हित की गयी है। आयुक्त अयोध्या मण्डल, अयोध्या के आदेश सं0-आर0ए0द्वितीय/आठ-1 (2023-24)848, दिनांक 09 मई, 2024 द्वारा उक्त चिन्हित भूमि 30 वर्ष के लिये अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पक्ष में लीज पर उपलब्ध करायी गयी है। निदेशक, यूपीनेडा द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन 22.5 टन प्रतिदिन क्षमता के सी0बी0जी परियोजना की स्थापना हेतु रिलायन्स बायो-एनर्जी लि0 को जनपद-अम्बेडकरनगर की तहसील-अकबरपुर के ग्राम- सस्पना में कुल 19.7684 एकड़ सरकारी भूमि रू0-15,000/- प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से 30 वर्ष के लिए लीज पर दिये जाने की संस्तुति की गयी :-

1- प्रश्नगत परियोजना के लिये फीड स्टाक भंडारण के लिये आवश्यक अतिरिक्त भूमि की व्यवस्था अपने स्रोतों से किये जाने विषयक सहमति पत्र सम्बन्धित फर्म द्वारा यूपीनेडा को उपलब्ध कराया जाएगा।

2- सम्बन्धित फर्म द्वारा एक माह के अन्दर लीज पर दी गयी सरकारी भूमि के सम्बन्ध में लीज डीड सम्पादित की जाएगी।

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निदेशक, यूपीनेडा की संस्तुति को स्वीकार किया गया।

8. जनपद-अलीगढ़

निदेशक, यूपीनेडा द्वारा अवगत कराया गया कि जैव ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत रिलायन्स बायो-एनर्जी लि0 द्वारा जनपद- अलीगढ़ में 22.5 टन प्रतिदिन क्षमता के सी0बी0जी0 प्लॉण्ट की स्थापना प्रस्तावित की गयी है। इस प्लॉण्ट की स्थापना हेतु जनपद-अलीगढ़ की तहसील-गभाना के ग्राम- ख्यामई में कुल 22.435 एकड़ सरकारी भूमि चिन्हित की गयी है। जिलाधिकारी-अलीगढ़ के आदेश सं0-1659/डी0एल0आर0सी0, दिनांक 31 मई, 2024 द्वारा उक्त भूमि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पक्ष में 30 वर्ष के लिये लीज पर उपलब्ध करायी गयी है।

निदेशक, यूपीनेडा द्वारा बताया गया कि जनपद अलीगढ़ में इण्डियन ग्रीन इनर्जी द्वारा जैव ऊर्जा नीति-2022 के अनुसार बायोकोल प्लांट की स्थापना के लिये 0.40 एकड़ भूमि आवंटित करने हेतु आवेदन किया है। यह फर्म प्रथम आवत प्रथम पावत की नीति से आच्छादित होती है, किन्तु यह फर्म स्टार्टअप है तथा इसके पास कोई पूर्व अनुभव नहीं है। अतः उच्च क्षमता के सी0बी0जी प्लांट की स्थापना के लिये रिलायंस बायो इनर्जी लि0 को भूमि आवंटित किये जाने की संस्तुति की गयी। राज्य स्तरीय समिति द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि यदि नीति में प्रथम आवत - प्रथम पावत के सिद्धान्त का प्राविधान है तो क्या परियोजना की साइज /क्षमता के आधार पर प्राथमिकता तय करने का कोई प्राविधान है अथवा नहीं। राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि नीति के आधार पर प्रस्ताव का परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

9. जनपद-हरदोई

निदेशक, यूपीनेडा द्वारा अवगत कराया गया कि 30प0 जैव ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत जनपद- हरदोई में रिलायन्स बायो-एनर्जी लि0 द्वारा 22.5 टन प्रतिदिन क्षमता के सी0बी0जी0 प्लॉण्ट की स्थापना प्रस्तावित की गयी है। इस प्लॉण्ट की स्थापना हेतु जनपद- हरदोई की तहसील-शाहाबाद के ग्राम-उचवल में 22.2395 एकड़ भूमि एवं ग्राम-रसूलपुर में 9.87 एकड़ अर्थात कुल 32.1095 एकड़ सरकारी भूमि चिन्हित की गयी है। अपर जिलाधिकारी(हरदोई द्वारा अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी, हरदोई के पत्र सं0-581/7-भूलेख प्रस्ताव/2023 एवं पत्र सं0-580/7-भूलेख-भूमि प्रस्ताव-2023, दिनांक 07 जून, 2024 द्वारा जनपद हरदोई में सी0बी0जी0 प्लांट की स्थापना के लिये तहसील शाहाबाद के ग्राम-उचवल एवं ग्राम रसूलपुर से सम्बन्धित क्रमशः 9.00 हेक्टेयर एवं 4.00 हेक्टेयर भूमि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पक्ष में लीज पर उपलब्ध करायी गयी है।

राज्य स्तरीय समिति द्वारा यह पाया गया कि जिलाधिकारी, हरदोई के पत्र दिनांक 07-06-2024 द्वारा भूमि आवंटन का प्रस्ताव प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग को भेजा गया है। इस प्रकार भूमि अभी अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को आवंटित नहीं हुई है। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि भूमि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पक्ष में आवंटित होने के पश्चात परीक्षणोपरांत प्रस्ताव समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए। निदेशक, यूपीनेडा को यह भी निर्देशित किया गया कि सौर ऊर्जा / जैव ऊर्जा नीति-2022 के प्राविधानों के अनुसार चैक लिस्ट बनाकर परीक्षण करने के पश्चात नीति की शर्तों का पूर्णतः पालन करने वाले प्रस्तावों को ही समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए। विभाग के पक्ष में भूमि आवंटित न होने के बावजूद भी प्रस्ताव को उच्च स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये जो जिम्मेदार हो, उसे चिन्हित कर सचेत किया जाए जिससे भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृति न हो।

10. जनपद-जालौन

निदेशक, यूपीनेडा द्वारा अवगत कराया गया कि 30प्र0 जैव ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत रिलायन्स बायो-एनर्जी लि0 द्वारा जनपद-जालौन में 48 टन प्रतिदिन क्षमता के बायो-कोल प्लाण्ट की स्थापना प्रस्तावित की गयी है। इस बायोकोल प्लॉण्ट की स्थापना हेतु जनपद- जालौन की तहसील-ऊरई के ग्राम-मछरेछा में कुल 124.68 एकड़ भूमि में से 3.5 एकड़ सरकारी भूमि प्रस्तावित की गयी है। यह भी अवगत कराया गया है कि जनपद-जालौन में 02 आवेदकों द्वारा भूमि आवंटन के लिये आवेदन किया गया है, जिसमें प्रथम आवेदक मे0 निप्पन्यू प्रा0 लि0 द्वारा बायो-एनर्जी पोर्टल पर उपलब्ध कराये गये प्रपत्र अपूर्ण पाये गये हैं। इनके द्वारा परियोजना निर्माण हेतु असमर्थता व्यक्त की गयी।

राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि मे0 निप्पन्यू प्रा0 लि0 से लिखित रूप से यह सूचना प्राप्त कर ली जाए कि परियोजना की स्थापना के लिए उन्हें भूमि की आवश्यकता नहीं है। तदोपरान्त नियमानुसार प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

11. जनपद-बरेली

निदेशक, यूपीनेडा द्वारा अवगत कराया गया कि मे0 मारुति सुजुकी इण्डिया लि0 द्वारा 30प्र0 जैव ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत जनपद- बरेली में 30 टन प्रतिदिन क्षमता के सी0बी0जी0 संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इस सी0बी0जी0 संयंत्र की स्थापना के लिये जनपद-बरेली की तहसील-नवाबगंज के ग्राम-अधकटा नजराना में कुल 20.014 एकड़ सरकारी भूमि चिन्हित की गयी है। जिलाधिकारी-बरेली के आदेश सं0-445/सात-डी0एल03आर0सी0/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 द्वारा तहसील नवाबगंज के ग्राम अधकटा नजराना 4.050 है0 तथा आदेश सं0-405/सात-डी0एल03आर0सी0/2023, दिनांक 30 दिसम्बर, 2023 द्वारा

तहसील एवं ग्राम नवाबगंज में 4.050 हे0 अर्थात कुल 8.1 हे0 (20.014 एकड़) भूमि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पक्ष में नीज पर उपलब्ध करायी गयी है। निदेशक, यूपीनेडा द्वारा यह भी अवगत कराया है कि जनपद बरेली में 11 निवेशकों ने परियेजनाओं की स्थापना के लिये असमर्थता व्यक्त की गयी है।

राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि जिन आवेदकों द्वारा परियोजना की स्थापना में असमर्थता व्यक्त की गयी है उनसे लिखित रूप से यह सूचना या पत्र प्राप्त कर लिया जाए कि परियोजना की स्थापना के लिए उन्हें भूमि की आवश्यकता नहीं है। तदोपरान्त नियमानुसार प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

12. जनपद-सोनभद्र

निदेशक, यूपीनेडा द्वारा अवगत कराया गया कि 30प्र0 जैव ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत जनपद सोनभद्र में भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम मै0 गेल इण्डिया लि0 द्वारा 10 टन प्रतिदिन क्षमता के सी0बी0जी0 संयंत्र की स्थापना प्रस्तावित की गयी है। इस परियोजना की स्थापना के लिये जनपद-सोनभद्र की तहसील-घोरावल के ग्राम-परसौना में कुल 20.006 एकड़ सरकारी भूमि चिन्हित की गयी है। जिलाधिकारी-सोनभद्र के आदेश सं0-160/डीएलआरसी-भू0पुर्नग्रहण/2024, दिनांक 13 फरवरी, 2024 द्वारा उक्त चिन्हित भूमि 30 वर्ष हेतु अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पक्ष में नीज पर उपलब्ध करायी गयी है।

राज्य स्तरीय समिति द्वारा बैठक में उपलब्ध मुख्य विकास अधिकारी सोनभद्र से प्रश्नगत प्लांट की स्थापना के लिये बायोमास की उपलब्धता के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि बायोमास के रूप में जनपद में पराली की उपलब्धता है। प्लांट की स्थापना के लिये आवश्यक बायोमास की उपलब्धता के सम्बन्ध में पूर्ण स्थिति स्पष्ट नहीं हो पायी। राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त प्लांट की स्थापना के लिये पर्याप्त बायोमास की उपलब्धता होने के सम्बन्ध में एक समिति गठित कर दी जाए तथा मुख्य विकास अधिकारी, सोनभद्र से स्थिति स्पष्ट कराते हुए समिति की रिपोर्ट के साथ प्रश्नगत प्लांट की स्थापना के प्रस्ताव को राज्य स्तरीय समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाए।

13. जनपद-सुल्तानपुर

निदेशक, यूपीनेडा द्वारा अवगत कराया गया कि 30प्र0 जैव ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत जनपद-सुल्तानपुर में भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम मे0 गेल इण्डिया लि0 द्वारा 20 टन प्रतिदिन क्षमता के सी0बी0जी0 संयंत्र की स्थापना प्रस्तावित की गयी है। इस सी0बी0जी0 प्लाण्ट की स्थापना हेतु जनपद-सुल्तानपुर की तहसील-कादीपुर के ग्राम-परामदपुर में कुल 14.06 एकड़ (गाटा संख्या-412/0.316 हे0, 413 मि0/0. 512 हे0, 414/0.658 हे0, 415 मि/0.556 हे0, 406

मि/1.308 है0, 407/1.278 है0, 408 मि/0.948 है0, 396 ख मि/0.240 है0,397ख मि0/0.180 है0 कुल 09 किता रकबा 5.988 है0) सरकारी भूमि चिन्हित की गयी है। जिलाधिकारी-सुल्तानपुर के आदेश सं0-09/डी0एल0आर0सी0/पुनर्ग्रहण/2024-25, दिनांक 24 जून, 2024 द्वारा उक्त भूमि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के पक्ष में 30 वर्ष के लिये लीज पर उपलब्ध करायी गयी है। निदेशक, यूपीनेडा द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन जनपद सुल्तानपुर में मे0 गेल इण्डिया लि0 को 20 टन प्रतिदिन क्षमता के सी0बी0जी0 संयंत्र की स्थापना हेतु उक्त भूमि रू0-1/- प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से 30 वर्ष के लिए लीज पर आवंटित किये जाने की संस्तुति की गयी:-

1- प्रश्नगत परियोजना के लिये फीड स्टाक भंडारण के लिये आवश्यक अतिरिक्त भूमि की व्यवस्था अपने स्रोतों से किये जाने विषयक सहमति पत्र सम्बन्धित फर्म द्वारा यूपीनेडा को उपलब्ध कराया जाएगा।

2- सम्बन्धित फर्म द्वारा एक माह के अन्दर लीज पर दी गयी सरकारी भूमि के सम्बन्ध में लीज डीड सम्पादित की जाएगी।

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निदेशक, यूपीनेडा की संस्तुति को स्वीकार किया गया। समिति द्वारा निदेशक, यूपीनेडा को निर्देशित किया गया कि आवेदकों से प्राप्त प्रस्तावों का नीति के प्राविधानों के अनुसार गहन परीक्षण करने के उपरांत ही उन्हीं प्रस्तावों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए जो नीति की सभी शर्तों को पूर्ण करते हों। निदेशक, यूपीनेडा को यह भी निर्देश दिये गये कि निवेशकों को भूमि आवंटन हेतु शासनादेश की व्यवस्था के अनुसार अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के लिए आवंटित भूमि यूपीनेडा के निवर्तन पर रखे जाने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करायें। (भूमि आवंटन संबंधी समस्त संस्तुतियाँ, अतिरिक्त ऊर्जा विभाग के शासनादेश दिनांक 03.08.2023 के प्राविधानों एवं शर्तों के अधीन होंगी)

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(राम रतन)	(नील रतन कुमार)	(अनुपम शुक्ला)	(नरेन्द्र भूषण)
विशेष सचिव,	विशेष सचिव,	निदेशक,	प्रमुख सचिव,
राजस्व विभाग	वित्त विभाग	यूपीनेडा	ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

समिति के सदस्य के रूप में जिलाधिकारी /नामित अपर जिलाधिकारी, हमीरपुर/ सम्भल/ लखीमपुरखीरी/ गोण्डा/ सन्त कबीर नगर/जालौन/ अलीगढ़/ सुल्तानपुर/ बरेली/ सोनभद्र/ आजमगढ़/ अम्बेडकर नगर/ झाँसी/हरदोई द्वारा वर्चुअल माध्यम से सहमति दी गयी।

उत्तर प्रदेश शासन
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग
संख्याः 1201/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2024
लखनऊः दिनांक 02 सितम्बर, 2024

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण(यूपीनेडा), गोमती नगर, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, हमीरपुर/ सम्भल/ लखीमपुर खीरी/ गोण्डा/सन्त कबीर नगर/जालौन /अलीगढ़/सुल्तानपुर/बरेली/सोनभद्र/आजमगढ़/अम्बेडकर नगर/ झाँसी/हरदोई।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव